Increasing the amount of Loans for Tubewells in Dry Areas

3817. SHRI S. NIRAIKULATHAN: Will the Minister of RURAL AREAS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the amount of Rs. 40,000/- given as loan under Jawahar Rozgar Yojana for digging tubewells is not sufficient in dry areas like Ramanathapuram in Tamil Nadu;

(b) if so, whether Government would increase this amount at least in dry areas; and

(c) if not, whether Government have any other scheme for these areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) to (c) As per the latest instructions issued both individual and community tubewells/borewells have been permitted under Million Wells Schemes (MWS). The subsidy will be limited to the actual cost of the project of Rs. 35,000/- per capita, whichever is loss. There will be no objection to meeting the rest of the cost of the project through other programmes such as those under Tribal Sub-plan Special Component Plan for Scheduled Castes, Integrated Rural Development Programme or any other State Sponsored Programme.

आवास-निर्माण हेतु रियायती दर पर ऋण

3818. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आवास-निर्माण हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में क्या व्यवस्था है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को आवास-ऋणों के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वेंकटेश्वरलु): (क) केन्द्रीय सरकार मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को ऋण नहीं देती है। तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड (हुडको) द्वारा विभिन्न राज्य स्तर की ऐजेंसियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वाले परिवारों (एल॰आई॰जी॰) के लिए आवास के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इन श्रेणियों के लिए हडको द्वारा लिये जाने वाले (शुद्ध) ब्याज की दरें इस प्रकार है:

ई॰ डब्लु॰एस॰	9%
ए-॰आई॰जी॰	12—13%

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान हडको द्वारा सभी वर्गों के आवास के लिए मंजूर किये गये ऋणों के राज्यार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। (नीचे देखिए)

(ग) हडको द्वारा दिये हुए ऋणों के विषय में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान हडकों द्वारा स्वीकृत आवास हेतु स्वीकृत ऋण के राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरे

राज्य	1993—94 मंजूर किया गया ऋण	1994—95 मंजूर किया गया ऋण	1995—96 मंजूर किया गया ऋण
आंध्र प्रदेश	75.56	63.73	76.63
अरुणाचल प्रदेश	1.82	0.00	0.00
आसम	8.31	23.74	35.65